

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 2021

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 18 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 199 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ 2 पर, सारणी में, कॉलम (9) में, "मिलियन" के स्थान पर, "मेट्रिक", पढ़ा जाए, जहाँ कहीं वह आता हो।

[फाइल संख्या-354/25/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार